शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 08 – 15 मई 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या कर्नाटक का परिणाम हिमाचल को भी प्रभावित करेगा

- सत्ती और अन्य भाजपा विधायकों की याचिका से उठा सवाल
- क्या भाजपा विधायकों की याचिका दिल्ली के अनुमोदन के बिना आ सकती है
- क्या चर्चा कैबिनेट रैंक में हुई नियुक्तियों तक जा पहुंचेगी

शिमला/शैल। क्या कर्नाटक में भाजपा की हार का कोई असर हिमाचल पर भी पड़ेगा? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक है क्योंकि कर्नाटक की हार के लिये प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराने की बजाये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नाम यह हार लगाने की कवायद चल पड़ी है। नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। पिछले पांच वर्षों में जब प्रदेश में जयराम के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी तब इस सरकार पर उठने वाले हर सवाल को नड्डा ने टाल दिया। नेतृत्व से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल करने तक के हर सवाल को नड्डा की हां नहीं मिली। भले ही पार्टी प्रदेश में हार गयी। लेकिन अब कर्नाटक की हार का ठीकरा नड्डा के सिर फोड़ने के प्रयासों का जवाब देने के लिये नड्डा ने एक नयी रणनीति अपनाने का खेल रच दिया है। इस खेल में कानून के सहारे हिमाचल की सुक्खू सरकार को अस्थिर करने की योजना है। क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद मोदी और उनकी भाजपा हाथ पर हाथ रखकर नही बैठ जायेगी। उसकी राजनीतिक प्राथमिकता होगी कांग्रेस की किसी भी चयनित सरकार को येन केन प्रकारेण अस्थिर करना। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह प्रयास सफल नहीं हो पाये हैं। फिर इन राज्यों में आगे चुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसी योजना को पूरे सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिये नड्डा के गृह राज्य हिमाचल से बेहतर और कोई स्थान हो नहीं सकता।

विश्लेषकों के मुताबिक यह व्यूह रचना प्रदेश में सुक्खू सरकार के गठन के साथ ही शुरू हो गयी थी। इसके पहले चरण में भाजपा के विश्वस्त रहे शीर्ष प्रशासन को सुक्खू सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर स्थापित किया गया। वित्तीय स्थिति पर सदन में श्वेत पत्र तक नहीं आ पाया। मीडिया में भी स्थिति विवादित बना दी गयी। ताकि मुख्यमंत्री तक सही राय ही न पहुंच पाये। जिस कर्ज प्रवृत्ति को कोसा जा रहा सरकार को उसी पर आश्रित करवा दिया गया। संगठन के लोगों को सरकार में जिम्मेदारियां दी जाये प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी मांग सार्वजनिक तौर पर रखने की नौबत आ गयी। यह सारा खेल पूरे योजनाबद्ध तरीके से खेला गया। इस खेल की अगली कड़ी में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती की याचिकाएं आ गयी। अंतिम कड़ी में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विधायक सतपाल सत्ती और अन्य भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री पदनाम को भी प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी।

विश्लेषकों की राय में यह अहम सवाल है कि भाजपा विधायकों के नाम से उच्च न्यायालय में याचिका आने से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा ने पार्टी स्तर पर किसी ठोस मकसद से ही यह कदम उठाया होगा। इसके लिये केंद्रीय नेतृत्व से भी हरी झंडी ली गयी होगी। क्योंकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उपमुख्यमंत्री हैं। संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई पदनाम न होने का जो प्रभाव हिमाचल में पड़ेगा वही उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में होगा। जैसे हिमाचल में इस पदनाम को चुनौती दी गयी है उसी तर्ज पर हिमाचल का फैसला आने पर इन राज्यों में भी होगा। इसलिये यह माना जा रहा है कि भाजपा हिमाचल में इन याचिकाओं का फैसला शीघ्र करवाने के पूरे प्रयास करेगा। संविधान की जानकारी रखने वालों के मुताबिक यह फैसले उपमुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों के पक्ष में नहीं आयेंगे। उस स्थिति में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की स्थिति आ जायेगी। क्योंकि अभी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मण्डी में जयराम के नेतृत्व के खिलाफ उठे सवाल

पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने खोला मोर्चा

शिमला/शैल। । कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली चुनावी हार का ठीकरा जे.पी.नड्डा द्वारा गलत टिकट आवंटन पर फोड़ा जाने लगा है। इस हार के लिये सही में नड्डा कितने जिम्मेदार हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां कितनी जिम्मेदार हैं यह खुलासा कभी सामने आयेगा या नही यह कहना कठिन है। लेकिन हिमाचल में भाजपा की हार के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि जब भी प्रदेश की जयराम सरकार पर सवाल उठे तो उन्हें नड्डा हर बार नजरअन्दाज करते चले गये। इस नजरअन्दाजी से नड्डा और जयराम के राजनीतिक रिश्तों की गहराई और गहरी होती चली गयी। लेकिन अब जिस तर्ज में जयराम के गृह जिला मंडी से जवाहर ठाकुर ने प्रदेश में हार का ठीकरा जयराम के सिर फोड़ना शुरू किया है उसे जयराम के माध्यम से नड्डा के खिलाफ आक्रोश का सामने आना माना जा रहा है। जयराम के गृह जिला से एक पूर्व पार्टी विधायक का उनके खिलाफ मुखर होना बहुत सारे संकेत दे जाता है।

हिमाचल में भाजपा को स्थापित करने में शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के योगदान को नकार पाना संभव नहीं है। दोनों दो-दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शान्ता तो परिस्थिति वश दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये। परन्तु धूमल ने न केवल कार्यकाल ही पूरे किये बल्कि पहले कार्यकाल में तो गठबन्धन की सरकार चलाई। लेकिन जयराम की सरकार बनने पर शान्ता धूमल दोनों को ही मार्गदर्शक मण्डल में डाल कर उससे बाहर निकलकर मार्ग दर्शक बनने ही नहीं दिया गया। जयराम सरकार के तो शुरू में ही हालत यहां तक पहुंच गये कि धूमल को यहां तक कहना पड़ गया कि सरकार चाहे तो उनकी सीआईडी जांच करवा ले। मानव भारती विश्वविद्यालय प्रकरण में तो हालात और भी नाजुक दौर में जा पहुंचे थे। राजनीतिक पंडित जानते हैं कि जयराम यह सब नड्डा के सक्रिय सहयोग से ही कर पाये हैं। इसी सबके कारण पार्टी विधानसभा के चुनाव हारी है।

इस परिपेक्ष में अब अगले लोकसभा चुनावों के लिये अभी से विसात बिछना शुरू हो गयी है। क्योंकि पूर्व भाजपा विधायक के इस आरोप को झुठलाया नहीं जा सकता कि जयराम के नेतृत्व में पार्टी तीन चुनाव हार गयी है। ऐसे में यदि कर्नाटक चुनाव की हार का कोई भी नजला नड्डा पर गिरता है तो उसके कारण प्रदेश में जयराम के नेतृत्व के लिये भी संकट आ जायेगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में कई नये समीकरणों के आकार लेने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

प्रदेश में स्थापित होगा स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति तैयार करेगी। इस नीति के प्रारूप प्रस्ताव पर आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी अकेलेपन एवं मोबाइल में सिमटती गतिविधियों के कारण आसानी से नशे की गिरफ्त में आ रही है, विशेष तौर पर पिछले 4-5 सालों में प्रदेश में नशाखोरी के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकालने तथा उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश में इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) के सहयोग से एक स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 50 बीघा भूमि का चयन करने के लिए उन्होंने सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र एक समग्र सोच के साथ गुरुकुल पद्धति पर आधारित होंगे जहां पर नशे की गिरफ्त में आये व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए कार्य किया जाएगा और एक सादे जीवन एवं सामुदायिक सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त करने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्तियों की मदद कर उन्हें व्यापक एवं बेहतर उपचार उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र के माध्यम से उन्हें शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद की जाएगी, ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। इस केन्द्र में उनमें खोया आत्म विश्वास पुनः जागृत करने और जीवन में उन्नति के लिए उचित सलाह के साथ ही उपचार उपरान्त उनकी समुचित निगरानी भी की जाएगी। उन्हें परिवार एवं समाज से दृढ़ नैतिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि वे समग्र रूप से सामान्य जीवन में लौट सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घावधि के लिए योजना बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रस्तावित नीति के प्रथम चरण में नशा मुक्ति के लिए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग तथा सलाहकार बोर्ड की मदद ली जाएगी, द्वितीय चरण में इनके पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य, युवा सेवाएं एवं खेल, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और बागवानी विभाग के समन्वय से कार्य किया जाएगा। तृतीय चरण में समाज में इनके पुनः संयोजन के लिए शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों का सहयोग लिया जाएगा। चौथे चरण में निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाएगा।

बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने प्रस्तावित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

राज्य सचिवालय के कामकाज को सुगम बनाएगा नया ब्लॉकः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण-3 का लोकार्पण किया। इस आठ मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 चार पहिया और 60 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और एसबीआई और पीएनबी की शाखाओं के विभिन्न कार्यालय हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यन्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस लाने में कर्मचारियों को सहयोग करना होगा।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूजा अर्चना भी की।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के उपरान्त प्रशासन को नई दिशा दी है। सचिवालय का नया भवन पूरे प्रदेश के लिए संदेश है कि नई सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

कारागार बंदियों के लिए हिम केयर योजना का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के आदर्श केन्द्रीय कारागार कण्डा में बंदियों के लिए 'हिमकेयर योजना' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने जेलों और अन्य संस्थानों के बंदियों के लिए एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस (आईएसटीएचटी) अभियान के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है और शीघ्र ही शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किस्त अदा करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कारावास के बंदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित थे और उन्हें बीमारी के दौरान उपचार के लिए धन अभाव का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जेल के बंदियों को इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 जून, 2023 तक राज्य की 14 जेलों के 3218 बंदियों और राज्य भर के किशोर गृह, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्र के 1278 आवासियों की जांच और उपचार करना है। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी, आईसीटीसी, एआरटी काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, फ्रीजर पीयर मोबिलाइजर और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे विभिन्न चिकित्सा पेशेवरों को समायोजित कर जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग जेल बंदियों को एचआईवी, टीबी, एसटीआई और हेपेटाइटिस के लिए निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बंदियों की रिहाई के बाद अन्य लोगों में बीमारी के संक्रमण को फैलने का खतरा बना रहता है इसे रोकने के लिए उनका समय पर उपचार अति आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और वर्ष 2030 तक एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की समुचित देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। उपचार के लिए उन्हें 6 एंटीरेट्रोवाइरल केंद्रों पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और निःशुल्क बस पास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेल बंदियों के लिए आयोजित एड्स जागरूकता प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किए, जिसमें राकेश कुमार प्रथम, स्वर्णजीत कौर ने द्वितीय और हितेश सबलिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जेल बंदियों द्वारा बनाये गये उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि यह अभियान देशभर के कारागारों में चलाया जा रहा है और एक महीने तक चलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बंदियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बंदियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को एचआईवी और इसकी रोकथाम के प्रति जागरूक करने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के माध्यम से जागरूकता अभियान को गति दी जाएगी।

सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी ने अभियान की मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया।

एडीजीपी (जेल) एपी सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजटलीकरण से सरल होगी फर्जी व दोहरे राशन कार्डों की जांच

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार पारदर्शी और तत्पर प्रशासन की परिकल्पना के साथ जन कल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के 117 थोक गोदामों का एक मज़बूत नेटवर्क है और राज्य में खुदरा उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 5,078 है, जो राज्य की लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में स्थापित करती है।

इन 5,078 उचित मूल्य की दुकानों में से 3,285 सहकारी क्षेत्र द्वारा, 19 उचित मूल्य की दुकानें पंचायतों द्वारा 65 एचपीएससीएससी लिमिटेड द्वारा, 1685 उचित मूल्य की दुकानें व्यक्तिगत रूप से तथा 24 उचित मूल्य की दुकानें महिला मंडलों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। यह प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने में वरदान सिद्ध हुई है।

राज्य सरकार प्रणाली में दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वितरण प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण और स्वचालन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। इस योजना में इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्डों का डिजिटलीकरण शामिल है। अब तक 19.08 लाख राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एंडरॉयड आधारित डिवाइस भी स्थापित किए गए हैं।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए 'एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण' लागू कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए विभागीय अधिकारियों व क्षेत्रीय निरीक्षकों को थोक दुकानों, आटा चक्की व उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पूरे राज्य में रसोई गैस का सुचारू वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेश में एपीएल, बीपीएल अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के तहत कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। पूरे राज्य में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर सभी राशन कार्ड धारकों को आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी युक्त खाद्य तेल भी वितरित किया जा रहा है।

उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनें स्थापित की गयी हैं। इसके अलावा आधार सीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब पात्र उपभोक्ताओं की पहचान करने में आसानी होगी। इससे राज्य में फर्जी और दोहने राशन कार्डों की जांच होगी।

कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित होंगे तीन नए ट्रैफिक-कम-टूरिस्ट-पुलिस स्टेशन: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की

समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबी इस फोरलेन सड़क का लगभग 182 किलोमीटर भाग प्रदेश के तीन जिलों बिलासपुर, मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए प्रदेश सरकार तीन नए ट्रैफिक-कम-टूरिस्ट-पुलिस स्टेशन (यातायात-सह-पर्यटक-पुलिस थाना) स्थापित करेगी। यह पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी व कुल्लू जिला में खोले जाएंगे। यह कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली से संचालित होंगे और प्रत्येक थाने में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इससे फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना इत्यादि में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को इन थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोरलेन सड़क पर ट्रामा सेंटर चिन्हित किए जाएंगे, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक, मंडी तथा तीनो जिलों के क्षेत्रीय अस्पताल शामिल हैं। इससे आपात स्थिति में प्रभावितों को शीघ्र उपचार सुनिश्चत हो सकेगा। इस राजमार्ग पर निश्चित स्थानों पर एंबुलेंस, रिकवरी वाहन इत्यादि की व्यवस्था भी होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के सुचारू संचालन तथा दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं न्यून करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं प्रदेश पुलिस के समन्वय से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरा, वीडियो इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वैरिएबल मैसेज साईन, स्वचालित यातायात पटल सह वर्गक, सड़क किनारे एवं ओवरहैड वाहन गति को दर्शाते डिस्प्ले पटल, ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी सहित आपात सहायता कॉल बॉक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने गति सीमा से संबंधित डिस्प्ले पटल की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एकीकृत कमांड केंद्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता एवं इस मार्ग से गुजरने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए विकसित की जा रही प्रणाली एवं पुलिस स्टेशनों की स्थापना इत्यादि के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि स्थल निरीक्षण के माध्यम से वाहनों की गति सीमा का जायजा लेकर पांच दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने कहा कि इस फोरलेन मार्ग के अंतर्गत टी एवं वाई जंक्शन पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए अध्ययन किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने अवगत करवाया कि यह फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग आगामी 15 से 20 जून, 2023 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों एवं राहगीरों की सुरक्षा के दृष्टिगत घाटी की तरफ को क्रैश बैरियर, पैदल पथ तथा ओवर ब्रिज तैयार किए गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव, गृह, भरत खेड़ा, प्रधान सचिव, परिवहन, आर.डी. नज़ीम, सचिव, स्वास्थ्य, एम. सुधा देवी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अजय गुप्ता, निदेशक, परिवहन अनुपम कश्यप सहित संबंधित विभागों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उच्च स्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नयी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विकिरण एवं कैंसर विज्ञान (रेडिएशन एवं ऑन्कोलॉजी) विभाग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के प्रमुख तथा प्रतिष्ठित कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ.जी.के. रथ से एक बैठक की।

प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि दर देश के 0.6 प्रतिशत के मुकाबले 2.2 प्रतिशत है और उत्तर-भारत में इसके सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। बैठक में हिमाचल में कैंसर उपचार सुविधाओं एवं समग्र स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गयी। औसतन लगभग 8500 मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं और विभिन्न कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कैंसर मामलों का पता नहीं चल पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में केंद्र सरकार से वित्त पोषित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।

उन्होंने इस घातक बीमारी के प्रति जन-जागरूकता पर विशेष बल दिया और इस दिशा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के सहयोग से कैंसर जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्याशालाएं आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने कैंसर के लिए अधिक जांच एवं इसकी पहचान की आवश्यकता पर बल दिया ताकि शुरूआती चरण में ही इस रोग का उपचार उपलब्ध करवाया जा सके।

इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वस्थ भविष्य के दृष्टिगत किशोरियों के स्वास्थ्य टीकाकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की संभावना के बारे में भी चर्चा की।

डॉ. रथ ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि 50 प्रतिशत कैंसर रोगों का उपचार संभव है। उन्होंने कैंसर के उपचार की नवीनतम तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया ने और मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल के.एस. बांशटू भी बैठक में उपस्थित थे।

विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर लिखित परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के भीतर होंगे घोषित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई विभिन्न पोस्ट कोड की उन लिखित परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित करने की प्रक्रिया जारी है, जो विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन पोस्ट कोड के परिणाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे, जिनमें विजिलेंस जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लास-3 के उन सभी पोस्ट कोड में भर्ती के लिए पुनःविज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही शुरू कर दी है जिन परीक्षाओं के लिए कर्मचारी आयोग ने लिखित परीक्षा नहीं ली थी। ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिए थे और उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर दिए थे, उन परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है और दोबारा फीस भी नहीं ली जाएगी।

चीड़ की पत्तियों से कम्प्रैस्ड बॉयोगैस का उत्पादन करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल की समृद्ध वन सम्पदा लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हिमालयी क्षेत्र में चीड़ की पत्तियां आसानी से विघटित न होने (नॉन-बॉयोडिग्रेडेबल) और अपनी उच्च ज्वलनशील प्रकृति के कारण आग लगने की घटना का मुख्य कारण बनती हैं। हर वर्ष प्रदेश में वनों में आग लगने की लगभग 1200 से 2500 घटनाएं होती है। इस समस्या के समाधान तथा वन सम्पदा से स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से संपीड़ित (कम्प्रैस्ड) बॉयोगैस के उत्पादन पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के मध्य कम्प्रैस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश में चीड़ की पत्तियों के माध्यम से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यावरण अनुकूल जैविक कचरे के उचित निपटारे में सहायता मिलेगी।

प्रदेश के वन अपशिष्ट लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। अत्याधुनिक पायरोलेसिस और अन्य तकनीकों के माध्यम से चीड़ की पत्तियों के उपयोग से जैव ईंधन के उत्पादन से वनों की आग और ऊर्जा संकट जैसे मामलों से निपटने में भी मदद मिलेगी। हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार और ओआईएल सीबीजी सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन और इसे विकास में सहयोग करेंगे। प्रदेश के कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों के बड़े भू-भाग में चीड़ के जंगल हैं। हाल ही में किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि चीड़ की पत्तियों को सीबीजी में परिवर्तित किया जा सकता है जो ऊर्जा का एक स्थाई संसाधन हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चीड़ से बायोगैस का उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत विकसित करने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा एक स्थाई ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ओआईएल के साथ यह समझौता हिमाचल को मार्च-2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनने की दिशा में सहायक होगा।

प्रदेश का ऊर्जा विभाग चीड़ की पत्तियों से सीबीजी के उत्पादन की व्यवहारिता का परीक्षण करने के लिए पत्तियों के नमूनें शीघ्र ही एचपी ग्रीन रिर्सच डवेलपमेंन्ट सेंटर बैंगलुरू भेजेगा। सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त इससे पारम्परिक जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सत्त ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीजी सीएनजी के समान गुणधर्मी हैं और इसका उपयोग नवीकरणीय ऑटोमोटिर्व इंधन के रूप में किया जा सकता है। सीबीजी में ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में सीएनजी के स्थान पर उपयोग की क्षमता है। प्रदेश में चीड़ की पत्तियों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता राज्य के ऊर्जा स्रोतों में बढ़ोतरी का एक मुख्य साधन बन सकती है।

चीड़ की पत्तियों का ईंधन अथवा बिजली के रूप में उपयोग इसके आर्थिक मूल्य में वृद्धि करेगा जिससे लोग भी इन्हें अधिकाधिक मात्रा में एकत्र करने के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण सभी का सामूहिक दायित्व है ताकि पशुओं के चरागाहें सुरक्षित रखी जा सकें और यह तभी संभव है जब हम जंगलों को चीड़ की सूखी पत्तियों से मुक्त कर इनका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की हरसंभव सहायता के निर्देश दिए

शिमला/शैल। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत उथड़ाग्रां पंचायत के रसेहड़ गांव में हुई सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार दुर्घटना प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की और कहा कि स्थानीय अस्पताल प्रशासन को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार धर्मशाला के उथड़ाग्रां में एक वाहन करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही पीड़ितों को फौरी राहत प्रदान की।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के सबंध में अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू परिषद के अध्यक्ष तथा राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी इसके उपाध्यक्ष होंगे।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर तथा भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज परिषद के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में जिला चंबा से हेमराज, रवि शर्मा, सतीश शर्मा, दौलत राम, जिला लाहौल-स्पीति से सोनम तर्गे, छेवांग, सुशील एडवोकेट, मोहन लाल, जिला किन्नौर से एडवोकेट अमर चंद, डॉ. सूर्य प्रकाश बोरस, बीर सिंह, सुख देव, केसर नंद नेगी और जय किशन नेगी शामिल हैं। मुख्य सचिव परिषद के पदेन सदस्य व आयुक्त एवं प्रधान सचिव, जन जातीय, इसके संयुक्त पदेन सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

इसी तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल-स्पीति, भरमौर तथा पांगी के लिए भी उप योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए परियोजना सलाहकार समितियों के गठन की अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं।

अपनी एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कर्नाटक परिणाम के अर्थ

कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। देश इस समय जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है उनमें इस जीत का अर्थ और महत्व दोनों बड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस समय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में है यह पूरा विपक्ष अपने-अपने तौर पर कह चुका है। केंद्र सरकार किस तरह जांच एजैन्सीयों का दुरुपयोग कर रही है इसका खुलासा चौदह दलों द्वारा इस आश्य की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने से हो जाता है। भले ही इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया लेकिन जब शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक को सरकार द्वारा तीसरी बार सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाये तो स्वत: ही इन चौदह दलों की आपत्ति को स्वीकार्यत: मिल गयी। फिर इसी दौरान अदानी प्रकरण पर संसद में उठा गतिरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संद्धर्भ में जांच बैठाना तथा सैबी को जांच के लिये अतिरिक्त छ: माह का समय देने के आग्रह को अस्वीकार करना राहुल गांधी के मानहानि मामले में हुयी कारवाई पर उठते सवाल इसी के साथ हिंडन वर्ग रिपोर्ट पर शरद पवार का ब्यान और अदानी का शरद पवार से मिलना तथा गुलाम नबी आजाद का राहुल के खिलाफ मुखर होना यह सब कर्नाटक चुनाव से पूर्व घटना इस चुनाव को एक अलग ही जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है।

इस परिदृश्य में हुये कर्नाटक चुनावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा तथा संघ परिवार के लिये इन चुनावों का अर्थ क्या था। यह चुनाव एक तरह से राहुल बनाम मोदी बन गये थे। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह दूसरा चुनाव था। कर्नाटक से पहले हुये हिमाचल के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रचार में आये थे और असफल रहे। हिमाचल से मिली हार कर्नाटक में भी जारी रही। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि यह हार प्रधानमंत्री मोदी और संघ भाजपा के उस एजैण्डे की है जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था। कर्नाटक की हार ने भाजपा के हिन्दू एजैण्डा की भी हवा निकाल दी है। हनुमान चालीसा का पाठ चुनाव प्रचार में इस एजैण्डे की पराकाष्ठा था। इस हार ने 2014 से 2023 तक भाजपा के हर फैसले और घोषणा को आकलन के लिये एक जन चर्चा का विषय बना दिया है। जिसके व्यवहारिक परिणाम अब हर दिन देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है।

इसी परिदृश्य में इस जीत ने कांग्रेस की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों तक हिमाचल और कर्नाटक सरकारों की परफॉरमैन्स कांग्रेस के आकलन का आधार बन जायेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने पांच महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार बदलने का व्यवहारिक संदेश अभी तक जनता में नहीं जा पाया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यदि आज हिमाचल में भी किसी भी कारण से पुन: चुनावों की स्थिति पैदा हो जाये तो कांग्रेस के लिये स्थितियां कोई ज्यादा सुखद नहीं होंगी। जो चल रहा है यदि उसमें सुधार न हुआ तो चारों सीटों में जीत मिलना आसान नहीं होगा। यह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार पर सरकारी रिपोर्टों से हटकर भी नजर रखने का प्रयास करे। कर्नाटक की हार के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ऑपरेशन कमल को बदले हुए कलेवर में अमली शक्ल देने का प्रयास करेगी यह तय है।

हलाल सार्टिफिकेशन पर केन्द्रीय नियामक व अभिकरण का गठन करे सरकार

गौतम चौधरी

भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उत्पादों और सेवाओं को हलाल के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस देश में हलाल सार्टिफिकेशन में जहां एक ओर एकरूपता का अभाव है वहीं दूसरी ओर बाजार के भरोसे इसे छोड़ दिया गया है। पूरे देश स्तर पर इसकी कोई प्रामाणिक संस्था नही है। इसके कारण मानकों में गड़बड़ी और असंगति पैदा हो रही है।

हलाल अरबी का शब्द है। दरअसल, पारंपरिक इस्लामी कानून के अनुसार भोजन, पेय पदार्थ, दवाओं सहित कई गतिविधियों के लिए संबंधित धार्मिक नेता से एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इस्लामिक शासन वाले देशों में तो बिना इस प्रकार के प्रमाण-पत्र के कोई व्यक्ति या संस्थाएं समान बेच ही नहीं सकता है। गैर इस्लामिक देशों में जहां मुसलमान रहते हैं वहां भी इस प्रकार के प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ती है। यदि प्रमाण-पत्र नहीं है तो इस्लाम धर्म के मानने वाले कोई समान खरीद नही सकते हैं। हलाल के बारे में बताया जाता है कि यह जीवन का एक तरीका है जिससे शारीरिक को आध्यात्मिक रूप से लाभ पहुंचाया जाता है। दुनिया के इस्लामिक देशों ने अपने यहां इसके लिए बाकायदा एक प्राधिकरण स्थापित कर रखा है। जिस देश में शरिया कानून लागू नहीं है वहां भी कुछ देशों ने अपने अनुसार इस मामले को लेकर कोई न कोई प्राधिकरण जरूर बना रखा है लेकिन भारत में हलाल पर कोई केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना नहीं की जा सकी है। यहां हलाल प्रमाण-पत्र पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी जिससे इस मामले में देशव्यापी कोई मानकता तय हो।

कोई केन्द्रीय प्राधिकरण या अभिकरण नहीं होने से भारत में यह मामला पूरी तरह निजी और असंगठित क्षेत्र के हाथों में है। ऐसे में निजी संस्थाएं स्वयं के दिशानिर्देशों के आधार पर इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। इससे हलाल प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बल मिल रहा है। साथ ही अधार्मिकता को बढ़ावा भी दिया जाने लगा है। यही नहीं केन्द्रीय अभिकरण के नहीं होने के कारण उत्पाद और सेवाओं को हलाल प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक में देशभर में एकरूपता की कमी है और पारदर्शिता का अभाव दिखता है। व्यवसाइयों और उपभोक्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उनके प्रमाणन शुल्क का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार के मामले अब बड़े पैमाने पर इस्लामिक समाज को परेशान करने लगा है। हलाल प्रमाणन प्रक्रिया में एकरूपता और निरंतरता के बारे में कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। सच पूछिए तो यह आर्थिक मामलों से भी जड़ा हुआ है। हलाल प्रमाण-पत्र जारी करने वाले निजी व्यक्ति या निकाय मन माफिक शुल्क लेकर प्रमाण-पत्र जारी करने लगे हैं। इस व्यवस्था ने धोखाधड़ी को जन्म दिया है।

इस्लाम के धार्मिक मामलों में शनाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। शनाह ईश्वरीय कानून है और अपरिवर्तनीय (ईश्वर प्रदत्त) है, जबकि फिकह, परिवर्तनशील इस्लामिक कानून है। विद्वानों की व्याख्या शाब्दिक और आलंकारिक अर्थों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप व्याख्या कभी-कभी असत्य और असंतोषजनक हो जाती है। इस्लाम में श्रद्धा रखने वाले संदर्भ की कमी और सीमित समझ के कारण, पवित्र ग्रंथों की आलोचना नहीं सह सकते हैं। इस प्रकार इस्लामी कानून की व्याख्या असहज हो जाती है। इस्लामी कानून, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मतभेदों साथ ही व्यक्तिगत मतभेदों के स्रोतों की गलतफहमी के कारण अस्पष्टता हो जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। सोडियम नाइट्रेट के साथ प्रोसेस्ड मीट का सेवन हलाल की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए सही है। जानकारों का मानना है कि इस्लाम के धार्मिक पुस्तकों में स्वास्थ्य से समझौते की बात कहीं नहीं कही गयी है। यदि ऐसी बात है तो फिर इस प्रकार के मांस का सेवन हलाल की श्रेणी से बाहर क्यों है? दूसरी बात, साबुन या डिटर्जेंट आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं में लार्ड या तेल का उपयोग किया जाता है। उसमें कई बार सूअर के चर्बी का भी उपयोग कर दिया जाता है लेकिन यह हलाल की श्रेणी में है। हलाल कानून के तहत किसी भी वस्तुओं में 2 प्रतिशत से कम अल्कोहल के उपयोग की बात कही गयी है लेकिन कई पेय पदार्थों में दो प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है और हलाल प्रमाण-पत्र उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है। व्यक्तिगत कारणों से किसी चीज को तरजीह देना एक बात है और किसी वैध चीज को अवैध घोषित करना दूसरी बात है।

भारत में निर्माताओं के लिए हलाल प्रमाणीकरण का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल, हलाल सर्टिफिकेशन एक व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ व्यवसायों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। सच तो यह है कि इस मामले में इस्लाम के श्रद्धा पर अब हलाल मायाजाल भारी पड़ने लगा है। इस मामले में हलाल प्रमाण-पत्र बांटने वाले श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यह एक बड़ा व्यापार बन गया है। इसमें धर्म और मान्यताओं से कोई लेना-देना नहीं है। इस्लाम के कई धर्मगुरु हलाल प्रमाण-पत्र बिना किसी धार्मिक नियामक के बांट रहे हैं। नैतिकता और धर्म को ताक पर रखा जा रहा है। उपभोक्तावाद के आंधी दौर में हर कोई पागल बना हुआ है। इसलिए भारत सरकार को इस मामले में कोई प्रमाणिक नियामक और अभिकरण का गठन करना चाहिए। साथ ही इस्लामिक विद्वानों को इस मामले में सरकार का सहयोग भी करना चाहिए।

'मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान का शुभारंभ

अपशिष्ट प्रबंधन के ट्रिपल आर -रिडयूस, रियूज, रिसाइकिल-का चैंपियन बनेगा मेगा अभियान

शिमला। लाईफ(एलआईएफई) शब्द है जिसका अर्थ है 'लाईफस्टाइल फॉर एनवॉयरमेंट' यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आज जरूरत है कि हम सभी एक साथ मिलकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाएं। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में एक जन आंदोलन बन सकता है।

आवासन और शहरी कार्यों के मंत्री, हरदीप एस पुरी ने मंत्रालय के सचिव, मनोज जोशी तथा आवासन और शहरी कार्यों के मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मेगा अभियान 'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर' का शुभारंभ किया।

घर के सामान्य सामानों का दोबारा उपयोग करना या उससे नया कुछ बना लेना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इसी आदत से प्रेरणा लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने अपशिष्ट प्रबंधन-कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण यानी आरआरआर के लिए अभियान शुरू किया गया है जिस का शीर्षक है-'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर'।

ट्रिपल आर 'वेस्ट टू वेल्थ' यानी कचरे से धन अभियान की रीढ़ है और इसने कई शिल्पकारों, रिसाइकल करने वालों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि को कचरे को कई उत्पादों में बदलने के लिए सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) उसी के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कारवाई को प्रोत्साहित करता है। मिशन लाईफ का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करना है और प्रो-प्लानेट व्यवहार बनाना है जिसे रोजमर्रा के जीवन में व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है।

इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य शहरों में कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण(आरआरआर) के लिए एकल संग्रह केंद्र स्थापित करना है, ताकि नागरिकों के कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक का पुन: उपयोग या पुनर्नवीनीकरण किया जा सके।

तीन सप्ताह का यह अभियान एसबीएम-यू 2.0 के तहत कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण के नागरिकों के संकल्प को मजबूत करेगा और स्थायी दैनिक आदतों को अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सामूहिक कारवाई करने के मिशन लाईफ के उद्देश्य को भी बढ़ावा देगा।

आरआरआर केंद्रों को 20 मई, 2023 को देश भर में लॉन्च किया जाना है और यह नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए अप्रयुक्त या उपयोग की गई प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़े, जूते, किताबें और खिलौने जमा करने के लिए एकल समाधान के रूप में काम करेगा। संग्रह के बाद, इन वस्तुओं को विभिन्न हितधारकों को पुन: उपयोग के लिए नवीनीकृत करने या नए उत्पादों में बनाने के लिए दिया जाएगा, इस प्रकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण को सही मायने में आगे बढ़ाया जाएगा।

RRR CENTRE
Reduce. Reuse. Recycle

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आरआरआर थीम गीत प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। प्रतियोगी इसके लिए एक थीम गीत लिख सकते हैं, कम्पोज कर सकते हैं, गा सकते हैं और उसे प्रस्तुत कर आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। यह प्रतियोगिता 20 मई से 18 जून, 2023 तक MyGov प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी। मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून, 2023 को सभी के द्वारा लाईफ के संकल्प के साथ होगा, इसके साथ सभी शहरों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आधे गांवो को खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल

शिमला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के कुल गांवों में से आधे गांवों (50 प्रतिशत) ने मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ने खुले में शौच मुक्त (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) का दर्जा हासिल कर लिया है। खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। अब तक 2. 96 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। यह 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण-II लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खुले में शौच मुक्त गांवों के प्रतिशत की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं- तेलंगाना (शत-प्रतिशत), कर्नाटक (99.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (97.8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (95.2 प्रतिशत) और गोवा (95.3 प्रतिशत) और छोटे राज्यों में सिक्किम (69.2 प्रतिशत) हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप में शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और यह उपलब्धि हासिल करने में उनके प्रयासों की प्रमुख भूमिका रही है।

खुले में शौच मुक्त 2,96,928 गांवों में से 2,08,613 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के साथ खुले में शौच मुक्त आकांक्षी गांव हैं। 32,030 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था साथ खुले में शौच मुक्त व्यवस्था की ओर बढते हुए गांव हैं और 56,285 गांव खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव हैं। खुले में शौच मुक्त मॉडल गांव वह है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का निरीक्षण किया जाता है, अर्थात न्यूनतम कूड़ा-कचरा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं, खुले में शौच मुक्त क्षेत्र की सूचना का प्रदर्शन और शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेशों को भी प्रदर्शित किया जाता है। अभी तक 1,65,048 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 2,39,063 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 4,57,060 गांवों में न्यूनतम जमा पानी है जबकि 4,67,384 गांवों में न्यूनतम कचरा है।

वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कुल 83,938 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2023-24 52,137 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निधियों के अतिरिक्त स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग की निधियों ने स्पष्ट रूप से अगल आवंटन किया है। इन निधियों का उपयोग स्वच्छता संपत्तियों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए किया गया है।

इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो गए हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों ने 50 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है यह स्वच्छता के क्षेत्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सिर्फ शौचालयों के निर्माण और उपयोग से आगे बढ़कर पूर्ण और पूर्ण स्वच्छता यानी खुले में शौच मुक्त से, खुले में शौच मुक्त प्लस तक जा रहा है। खुले में शौच मुक्त स्थिति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण -ग्रामीण, ठोस (जैव-निम्नीकरणीय) अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम), तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम), मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), गोबरधन, सूचना शिक्षा और संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी/बीसीसी) और क्षमता निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण-II के प्रमुख घटक हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और रहन-सहन को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आयी कई रिपोर्टों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के प्रभाव की प्रशंसा की गयी है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में 831 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां और 1,19,449 अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण शेड स्थापित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक को साफ करके, टुकड़े करके सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल सीमेंट कारखानों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है।

206 जिलों में 683 क्रियाशील बायो-गैस/सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए।

3,47,094 सामुदायिक खाद गडढों का निर्माण किया गया।

देश में घरेलू स्तर पर जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोगों को सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वे सूखे और गीले (जैविक) कचरे को अपने स्थान पर ही अलग-अलग करे। इसके लिएअब तक 3,47,094 सामुदायिक खाद गडढों का निर्माण किया जा चुका है। गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज-धन)। अपशिष्ट प्रबंधन कचरे को संसाधनों में बदलने और स्वच्छ और हरित गांव बनाने के लिए एक पहल है। यह एक 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल है, जिसमें गांवों में उत्पन्न कचरे का उपयोग बायो-गैस/सीबीजी के साथ-साथ बायो-स्लरी/ बायो-फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है। यह भारत सरकार की सर्कुलर इकोनॉमी और मिशन लाइफ पहल के अनुरूप है। 206 जिलों में 683 क्रियाशील बायो-गैस/सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके कई लाभ हैं, जिनमें पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर घोल, स्वच्छ परिवेश और वेक्टर जनित रोगों में कमी, अस्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक लागत में बचत, ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) का कम उत्सर्जन, कच्चे तेल के आयात में कमी (विदेशी मुद्रा की बचत), स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर, हरित ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और निजी निवेश को बढ़ावा देना, जैविक कचरे से किसानों/स्थानीय ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि, और कृषि अवशेषों की देखभाल।

उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

हिमाचल बनेगा देश का पसंदीदा निवेश गंतव्य

शिमला । राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का मुख्य औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभावित उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनके फलस्वरूप 'व्यापार में सुगमता', सूचकांक में प्रदेश की वरीयता भी सुधरी है। राज्य में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान करना तथा निवेश को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कई नई नीतियां अपनाई हैं जिनके तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली, राज्य वित्त निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से आसान ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कम दरों पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है तथा नए उद्योगों को बिक्री या खरीद कर पर छूट भी दी जा रही है। प्रदेश के बाहर निकटतम रेलवे स्टेशन से कच्चे माल के परिवहन भाड़े पर रियायत के अलावा अन्य सीमांत लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत डेंटल क्लिनिक के लिए मशीनरी एवं उपकरण, ई-टैक्सी की खरीद, एक मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना, मत्स्य पालन परियोजना तथा अन्य उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ई-टैक्सी की खरीद पर सभी पात्र वर्गों को 50 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवासीय इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है जिससे लगभग 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में शामिल हैं। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करवाएगा जिससे इनकी समस्याओं का पता लगाया जाएगा तथा उनका उचित निवारण होगा। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से आवश्यक प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। इस संबंध में नई औद्योगिक नीति में प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह लेगा। यह ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक छत तले सभी स्वीकृतियां प्रदान करने की सुविधा देगा। निवेशकों को 'आओ और काम शुरू करो' की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश आदर्श निवेश हितैषी राज्य बनकर उभरेगा।

प्रदेश सरकार एच.पी. टिनैंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, 1972 के अनुच्छेद-118 के संबंधी मामलों की स्वीकृतियों के विलंब पर भी ध्यान देगी। उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना स्थापित की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संचालन को और सुदृढ़ किया जाएगा और औद्योगिक इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर कार्य कर रही है ताकि उन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव बी.बी. स्वैन ने भेंट की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार एवं

सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रदेश में छोटे उद्यमियों के लिए बेहतर पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत चालित वाहन, पर्यटन, ग्रीन हाईड्रोजन, हरित प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कैन एवं बांस पर आधारित, पारम्परिक फुटवियर, चाय आधारित, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि क्षेत्रों में क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि टाहलीवाल, परवाणु, जीतपुर बैहरी, खड़ीन और गौंदपुर में क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बद्दी तथा हरोली में भी दो क्लस्टर की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि इन क्लस्टर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त रणनीतिक निवेश नीति (एसआईपी) के तहत प्रस्ताव तैयार कर जुलाई, 2023 तक केन्द्र सरकार को भेंजे। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अनुमानित 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस योजना के अन्तर्गत कारीगरों के लिए सहायता राशि 75 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम दो लाख रुपये करने तथा औजार इत्यादि के लिए सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी चर्चा की गई।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। केन्द्रीय अतिरिक्त सचिव एवं विकासायुक्त, एमएसएमई, रजनीश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रस्तुति दी।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नज़ीम, निदेशक ग्रामीण विकास ऋग्वेद ठाकुर सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय

अधिकारियों को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना (मास्टर प्लान) तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सोशल मीडिया, फोक मीडिया, विज्ञापन जैसे माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे आगामी वर्षा ऋतु में होने वाले जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकेगा।

वर्षा एवं हिम जल संचय, भू-जल पुनर्भरण एवं स्रोत स्थिरता की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता और जल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पेयजल के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। बेहतर एवं सुलभ सिचाई सुविधा से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की वृतवार चर्चा की गई। उप-मुख्यमंत्री ने सभी विकासात्मक परियोजनाओं को गति प्रदान करने तथा इन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता संजीव कौल, सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। प्रदेश में लोगों को उनके घरद्वार के निकट विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा प्रत्येक चिकित्सा खंड में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक अस्पताल स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों और प्रदेश से बाहर की ओर रुख न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में प्रदेश के इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (आईजीएमसी) में लगभग 30.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक लोगों को समर्पित किया। ट्रॉमा ब्लॉक में फिजियोथैरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) बेड, आईसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्स-रे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। घायलों व गंभीर रोगियों के उपचार संबंधी वरीयता के लिए यहां अलग व्यवस्था की गई है।

इस ब्लॉक के निर्मित होने से लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के साथ साथ यहां सेवाएं देने वाले डॉक्टरों एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को कार्य करने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो रहा है। आईजीएमसी में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। यह उपकरण व मशीनरी, संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, न्यूरो-सर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनस्थिसिया विभाग में उपयोग में लाए जाएंगे। इस सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

प्रदेश के जिला ऊना में 38 एकड़ के परिसर पर 450 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 300 बिस्तरों की क्षमता वाले पीजीआई सैटेलाइट केंद्र निर्मित किया जाएगा। यह सैटेलाइट सेंटर जिला ऊना में स्थापित होने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस केंद्र में 283 करोड़ रुपये से भवन निर्माण और शेष राशि का उपयोग उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा।

प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस केंद्र के स्थापित होने से जिला ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की वन स्वीकृति के मामले प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र सरकार के समक्ष उठाती रही है। मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए हमीरपुर में केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए पैरवी की है। प्रदेश सरकार ने सरकारी उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन गठित किया है। शिमला, टांडा, नेरचौक, हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक्स सर्जरी जैसे अत्याधुनिक कोर्स शुरू करवाए जाएंगे जिससे स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वर्तमान में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों से स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है।

सामुदायिक भवन निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये:स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने शिमला के रञ्जाणा में राज्य स्तरीय कोली समाज सामुदायिक भवन के निर्माण के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय कोली समाज सामुदायिक भवन निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के बारे में विभिन्न विषयो पर चर्चा की तथा सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाज की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्मित होने वाले बुनियादी ढांचों के जल्द निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को एफआरए के तहत आवश्यक औपचारिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस भवन का निर्माण कार्य जल्द आरम्भ किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिमला में इस भवन के निर्माण से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले जरूरतमंद व निर्धन लोगों को ठहरने का आश्रय प्राप्त होगा।

बैठक में, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग प्रदीप ठाकुर, संयुक्त सचिव जीवन सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश कोली समाज शिमला के अध्यक्ष उत्तम सिंह कश्यप, महासचिव राजेश कोश व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग देने की अपील की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मिशन 'लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर सभी संगठनों, विभागों और गैर सरकारी संगठनों से पूरे राज्य में जन सहभागिता सुनिश्चित कर प्रमुख आउटरीच एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने का आग्रह किया है। इन गतिविधियों का उद्देश्य व्यवहारवादी परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक बनाना है। इस कार्य में सभी विभागों को समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवानी चाहिए।

उन्होंने वन विभाग को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रवेश टिकटों के माध्यम से मिशन लाइफ की सह-ब्रांडिंग के साथ वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास प्लास्टिक सफाई अभियान आयोजित करने, साइकिल मार्गों को बढ़ावा देने और साइकिल रैलियों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि वन विभाग स्थानीय समुदाय के साथ मिट्टी और नमी संरक्षण पहल भी आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग हिमकोस्टे के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के लिए इको-क्लबों के नेटवर्क को भी सक्रिय करेगा।

पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग (डीईएसटी और सीसी) के निदेशक डी.सी. राणा ने मिशन लाइफ पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभाग व क्षेत्रवार सांकेतिक कार्य योजना (पीओए) तैयार की गई है।

उन्होंने बताया कि मिशन लाइफ पोर्टल पर http://missionlife-moefcc.nic.in जानकारी पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज मिशन लाइफ पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिन्हे http://missionlife-moefcc.nic.in/assets/pdf/Prayaas-Se-Prabhaav-Tak.pdf. से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि मिशन लाईफ लोगो के अंतर्गत सभी गतिविधियां मिशन लाइफ दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग अधिक क्षेत्र विशिष्ट गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा https://merilife.org/.पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह भी बताया कि यह सांकेतिक व प्रस्तावित योजना है।

पर्यावरण विभाग, एसएंडटी, एसपीसीबी, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कार्मिक विभाग, पीआरआई, युवा और खेल, जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग, ऊर्जा, कृषि-बागवानी, परिवहन, पर्यटन, जनसंपर्क, भाषा, कला और संस्कृति को मिशन जीवन के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि विभाग ईको-गांवों को एलआईएफई गांवों में बदलने के लिए मॉडल ईको-विलेज अभियान चलाएगा। उन्होंने राज्य पर्यावरण प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड को उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण में सुधार लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

सर्वोच्च न्यायालय में खैर के कटान पर लगाई गई समय अवधि संबंधी शर्त हटाने की दलील रखेगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में खैर के पेड़ों के कटान से संबंधित दो मामले उच्चतम न्यायलय में 10 मई, 2023 को सूचीबद्ध हुए हैं। प्रदेश सरकार खैर उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत 'दस वर्षीय कटान कार्यक्रम' के अतंर्गत खैर के कटान पर लगायी गयी शर्त हटाने तथा सुविधा अनुसार उन्हें खैर कटान की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय में अपना कानूनी पक्ष रखेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खैर के पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे किसान अपनी सुविधा और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इसका कटान करने में सक्षम हो सकेंगे।

खैर की लकड़ी से प्राप्त 'कत्था' औषधीय गुणों से परिपूर्ण होने के कारण इसका विभिन्न दवाईयों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की दलील है कि वनवर्धन (सिल्वीकल्चर) के दृष्टिगत खैर का कटान वन प्रबंधन सहित प्रदेश के राजस्व अर्जन के लिए भी बेहतर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खैर को दस साल के कटाई कार्यक्रम के दायरे से बाहर करने और राज्य के किसानों के पक्ष में भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में छूट से संबंधित सुझाव प्रदान करने के लिए पूर्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गयी है और इस रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिए जाने की संभावना है।

एक अन्य समान मामले में राज्य सरकार प्रदेश भर में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति की मांग कर रही है। वन विभाग का मानना है कि खैर के पुनर्जीवन संबंधी गुणों के कारण सरकारी भूमि पर वनों का कायाकल्प करने के दृष्टिगत इसके कटान की अनुमति मिलनी चाहिए।

वन विभाग की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2018 में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की थी। इसके परिणामों का आकलन करने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां शीर्ष अदालत ने खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी और समिति ने अपने निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। खैर कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था के घटकों में से एक है।

शिमला नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर एवं उप-महापौर ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। शिमला नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित सुरेंद्र चौहान और उप-महापौर उमा कौशल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में भेंट की।

मुख्यमंत्री ने महापौर और उप-महापौर को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्षदों की विकासात्मक योजनाओं व समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्परता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भी शिमला नगर निगम में 10 वर्ष तक पार्षद रहे हैं तथा इस शहर की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर की सड़कों के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए कार्य किया जाएगा। प्रदेश के विकास के दृष्टिगत तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

हिमाचल में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए कई अभिनव कदम उठा रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधों को विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कृषि-जलवायु विविधता बागवानी क्षेत्र के विस्तार और सेब, नींबू प्रजाति के फलों, आम, खुमानी और नाशपती जैसे फलों की पैदावार के लिए वरदान है। राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष फलों के पौधे रोपे जाते हैं। प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत लाखों पौधे आयातित किए जाते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादों तथा फल-फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार रोपित किए गए पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के प्रति संवेदनशील है। इस समस्या से निपटने और बागवानी क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दे रही है। इसके लिए कई फल उत्पादक राज्यों के पौधरोपण मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि पौधरोपण की अधिक-से-अधिक जीविता दर बनाई रखी जा सके।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित एचपी शिव परियोजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई जा रही स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, साफ-सफाई व रख रखाव इत्यादि की आधुनिक तकनीक का अवलोकन एवं अध्ययन किया। दल ने एलिजाबेथ कृषि संस्थान और स्ट्रॉबेरी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का भी दौरा किया। इस दौरान संतरे के उत्पादन में माईक्रो ग्राफ्टिंग तकनीक का अवलोकन करने के साथ-साथ सिट्रस पैथेलोजी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सिट्रस रिपोजीटरी कार्यक्रम इत्यादि पर चर्चा की।

प्रदेश में शिवा परियोजना के अतंर्गत लगभग 1800 हेक्टेयर भूमि को संतरा उत्पादन के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 20 लाख पौधों की आवश्यकता होगी।

बागवानी क्षेत्र में सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर प्रदेश में इसे प्रयोग में लाने की दिशा में यह प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण नवोन्मेषी पहल है। इससे प्रदेश में उच्च गुणवता वाले संतरे के पौधे तैयार करने में सहायता मिलेगी और बागवान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा राज्य सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में विस्तार तथा बागवानों के कल्याण और उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं। सरकार के नवीन और ठोस प्रयासों के सुखद परिणाम शीघ्र ही दृष्टिगोचर होंगे।

फोटोयुक्त मतदाता सूची-2023 अन्तिम रूप में प्रकाशित

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रथम अप्रैल 2023 की अर्हता तारीख के आधार पर पूर्ण हो चुका है और भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से फोटोयुक्त मतदाता सूची-2023, दिनांक 10 मई, 2023 को अन्तिम रूप में प्रकाशित की जा चुकी हैं। प्रारूप प्रकाशन (दिनांक 05 अप्रैल 2023) के समय प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 55,12,569 मतदाताओं के नाम दर्ज थे।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान कुल 51,562 मतदाता दर्ज हुए जिसमें से 50,515 नये मतदाता पंजीकृत हुए हैं। पुनरीक्षण के दौरान 18-19 वर्ष आयुवर्ग के 21,862 नये मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त 43,783 मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन, दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूचियों से हटाए गये हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में कुल 7,779 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है जो विद्यमान मतदाताओं से 0.14 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त सेवा अर्हता मतदाता सूची को भी दिनांक 10 मई, 2023 को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में अन्तिम रूप से प्रकाशित सेवा अर्हता मतदाता सूची में कुल 67,124 मतदाता दर्ज हैं। प्रदेश के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अब कुल 55,20,348 सामान्य मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें 27,88,023 पुरुष, 27,32,290 महिलाएं तथा 35 तृतीय लिंग हैं। प्रदेश की जनसंख्या लिंग अनुपात 976 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 980 है। प्रदेश के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 1,04,984 मतदाता, 14 सुलह निर्वाचन क्षेत्र में व सबसे कम 24,856 मतदाता, 21-लाहौल व स्थिति (अनुसूचित जन जाति) निर्वाचन क्षेत्र में है। दिनांक 10 मई, 2023 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ए.डी.एम.,एस.डी.एम.) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, नायबतहसीलदार) के कार्यालयों में तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध सूची से किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि उपरोक्त वेबसाईट के अतिरिक्त NVSP Portal VHA (Voter Help Line Mobile APP) के माध्यम से भी कर सकता है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की फोटो रहित पी.डी.एफ फाइलों की डी.वी.डी 100 रुपये प्रति डी.वी.डी की दर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय या संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

नौणी विश्वविद्यालय और हिमगिरी एग्री सॉल्यूशंस साथ करेगें काम

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने हिमाचल प्रदेश एवं समान भौगोलिक क्षेत्रों में खेती के ज्ञान और विकसित तकनीकों को बढ़ाने के लिए रोहडू स्तिथ हिमगिरी एग्री सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषक समुदायों के हित में और दोनों संगठनों के संस्थागत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग बनाने के लिए विश्वविद्यालय में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष अनुसंधान, शिक्षा और जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों, फल और सब्जी आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में किसानों के कौशल उन्नयन के लिए साथ मिलकर काम करेगें। विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉ.संजीव चौहान और कंपनी के निदेशक जतिंदर सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग अध्यक्ष डॉ. एनएस ठाकुर, कुलपति के विशेष कार्य सचिव डॉ. सुधीर वर्मा और हिमगिरी के निदेशक जोगिंदर सिंह उपस्थित रहे।

प्रो चदेल ने कहा कि राज्य के भीतर और समान भौगोलिक क्षेत्रों में ज्ञान और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने और किसानों के खेतों तक अनुसंधान का विस्तार करने की गुंजाइश है। इस एमओयू के तहत, दोनों पक्ष अकादमिक, तकनीकी और विस्तार ज्ञान को साझा करने के लिए कार्य करेगें। हिमगिरी, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकों को भी अपनाएगी।

हिमगिरी सेब की खेती और बाग प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक एड-टेक प्लेटफॉर्म 'खेतियारी' भी चलाता है। दोनों पक्ष इस मंच के माध्यम से कृषि प्रमाणपत्र पाठयक्रम और सामग्री के विकास के लिए आगे सहयोग करेंगे। यह कंपनी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा और कंपनी और इसके नेटवर्क की सुविधाओं पर शोध अध्ययन करने के लिए छात्रों की मेजबानी करेगा।

इसके अलावा, सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्पाद विकास और जैविक और प्राकृतिक कृषि उपज के प्रसंस्करण में होगा। विश्वविद्यालय हिमीगिरी का मार्गदर्शन करेगा और प्राकृतिक कृषि उपज से उत्पाद श्रृंखला विकसित करेगा जिसके लिए विश्वविद्यालय की प्रसंस्करण सुविधाओं का भी उपयोग होगा। समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय की पहुंच को मजबूत करने और आगे बढ़ाने और किसानों के साथ अपनी पैठ बढ़ाने का एक मंच होगा। विश्वविद्यालय के छात्रों को कंपनी के खेतों पर शोध परीक्षण करने और उन्हें इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का अवसर भी मिलेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुरेन्द्र चौहान बने मेयर और उमा कौशल हुई डिप्टी मेयर

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिदृश्य में लोगों को राहत देना होगा चुनौति करोड़ों की पार्किंग भी जमीन पर नहीं आ रही नजर

शिमला/शैल। नगर निगम के छोटा शिमला वार्ड के पार्षद

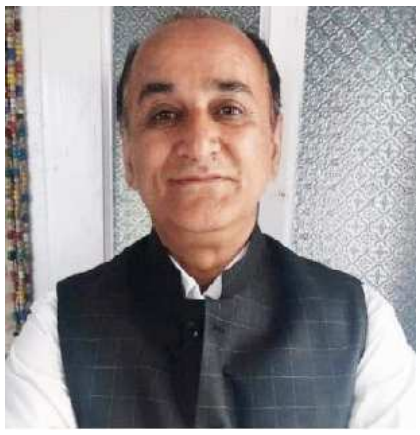

सुरेन्द्र चौहान महापौर और टूटी कण्डी वार्ड की पार्षद उमा कौशल उप महापौर चयनित हुए हैं। शिमला नगर निगम की सत्ता पर कांग्रेस दस वर्ष बाद काबिज हुई है। पिछले एक वर्ष से निगम पर प्रशासक की सत्ता थी। निगम के 34 वार्डो में से 24 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और इसमें 14 वार्डो से महिला पार्षद जीत आयी। इसलिये महिलाओं के बहुत के आगे मेयर और डिप्टी मेयर का चयन सर्वसम्मति से हो पाना कठिन लग रहा था। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा सांसद श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से यह चयन निर्विरोध हो गया। इस चयन में युवा और वरियता दोनों को अधिमान देते हुए कांग्रेस नेतृत्व संभावित टकराव को टालने में सफल हो गया है। कांग्रेस इस तरह पहली चुनावी परीक्षा में सफल हो गयी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निगम का शासन-प्रशासन किस तरह शिमला की जनता की उम्मीदों पर पूरा उतर पाता है।

शिमला में सबसे बड़ी समस्या भवन निर्माण है। सरकार पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से शहर को एक स्थाई प्लान नहीं दे पायी। इस प्लान के अभाव में ही प्रभावशाली लोग समय-समय पर निर्माण नियमों की अवहेलना करते आये हैं और इन अवहेलनाओं को नजरअन्दाज करके सरकारों को नौ बार रिटैन्शन पॉलिसीयां लानी पड़ी है। लेकिन अब हालात नवम्बर 2016 में आये एनजीटी के फैसले से इस कदर उलझ गये हैं की अवैधताएं अब भी जारी हैं। वोट की राजनीति के चलते सरकारें आंखें बन्द करके चल रही हैं। बल्कि इन अवैधताओं को और प्रोत्साहन दे रही है। इसी प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप 2016 के फैसले के बाद भी हजारों अवैध निर्माण होने की सूचनाएं अदालत तक पहुंच चुकी हैं। अदालत सरकार द्वारा बनाये गये प्लान को रिजैक्ट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एनजीटी के फैसले को चुनौती दे रखी है। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है। अभी तीन मई को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि पहले प्लान पर आये एतराजों का निपटारा करके प्लान को नोटिफाई करें। इसके बाद भी यदि कोई एतराज आता है तो उच्च न्यायालय उस पर विचार करे। लेकिन इसके चलते एनजीटी के फैसले की आवहेलना कोई नहीं करेगा। एक ओर यह अदालती स्थिति है लेकिन दूसरी ओर नगर निगम के इन्हीं चुनावों के दौरान सरकार ने एटिक की ऊंचाई बढ़ाकर उसको रिहायश के काबिल बनाने और बन्द पड़ी बेसमैन्ट को खोलकर पार्किंग बनाने की सुविधायें की घोषणाएं कर दी। इसके लिये नियमों में संशोधन करने के ऐलान हो गये। यह खबरें छप गयी कि जल्द ही ऐसी आधिसूचनाएं जारी हो रही हैं। कानून के जानकार जानते हैं कि जब तक एनजीटी का फैसला खड़ा है तब तक उसकी आवहेलना की कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार ने चुनावों में वायदे किये हैं और भाजपा इन वायदों पर चुप्पी साधे रही है। औपचारिक तौर पर भी उसने किसी मंच पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में दोनों एक साथ हैं। लेकिन इसके कानूनी पक्ष का अब चयनित निगम और शासन प्रशासन को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो निगम प्रशासन के पास आयेंगे। ऐसे में निगम प्रशासन के लिये आने वाला समय कोई बहुत सुखद नहीं रहेगा।

निगम के चुनावों के दौरान ही स्थानीय विधायक शहरी जनारथा ने एक पत्रकार वार्ता में यहां तक आरोप लगाया है कि निगम में ऐसे दर्जनों काम हुए हैं जो कागजों में तो हैं परन्तु जमीन पर नजर नहीं आ रहे। विधायक की इस आशंका को एक आरटीआई से बल मिलता है जिसमें खुलासा सामने आया है कि शहर के कुछ भागों में करोड़ों से बनी पार्किंग दिखाई गयी है जो जमीन पर है ही नहीं। इस बजट सत्र में स्थानीय निकायों पर जो कैग रिपोर्ट आयी है उसमें एसजेपीएनएल का 31-03-2018 को क्लोजिंग बैलेन्स 1591.54 लाख है और 1-4-2018 को ओपनिंग बैलेन्स 575.26 लाख रह गया। एक रात में ही यह अन्तर कैसे आ गया इस पर आज तक चुप्पी चली हुई है। ऐसे कई मामले हैं जिन पर निगम के नये प्रबन्धन को संज्ञान लेकर कारवाई करने की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट का तीन मई का आदेश पाठकों के सामने रखा जा रहा है जिसमें वह इस पर अपनी समझ बना सकें।

2. MC Shimla & SJPNL

(₹ in lakh)

Year	2015-16	2016-17	2017-18	Total	2018-19	2019-20	Total
Opening Balance	783.05	994.54	1,203.19	**783.05**	575.26	2,338.10	575.26
Demand raised	2,123.54	2,370.87	2,371.79	**6,866.20**	2,213.48	1,751.90	**3,965.38**
Total Demand	2,906.59	3,365.41	3,574.98	**7,649.25**	2,788.74	3,990.00	**4,540.64**
Total Collection	1,912.05	2,162.22	1,983.44	**6,057.71**	550.63	1,685.13	**2,235.76**
Closing Balance	994.54	1,203.19	1,591.54	**1,591.94**	2,238.10	2,304.87	**2,304.87**
O&M Cost	65.60	121.36	1,963.15		569.44	1,486.64	
Collection against Demand (%)	**66**	**64**	**55**	**79**	**20**	**42**	**49**

Note: As per the information supplied by the MC Shimla an amount of ₹ 1591.54 lakh was the CB (31.03.2018), however, SJPNL had shown OB (01.04.2018) ₹575.26 lakh, which resulted in difference in OB of ₹ 1016.28 lakh.

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1. We are informed that on account of directions issued by the National Green Tribunal (NGT), the final development plan which is presently at the stage of 'draft notification' could not be published. We are further informed by the learned Advocate General for the State of Himachal Pradesh that 97 objections have been received to the draft development plan.

2. In light of the facts and circumstances of these cases, we find that it will be appropriate, that the State Government decides the objections received to the draft development plan and after considering the same issue a final development plan.

3. We, therefore, direct the State of Himachal Pradesh to consider the objections to the draft development plan, decide them and publish the final development plan within a period of six weeks from today.

4. We further clarify that after the final development plan is published, it would not be given effect to for a period of one month from the date of its publication.

5. It is further directed that no construction should be permitted on the basis of the draft development plan.

6. Learned counsel appearing for the impleadors submits that certain constructions are being carried out without there being a sanctioned plan.

7. If any such construction is carried out without there being a sanctioned plan, indisputably, such a construction would be an unauthorized construction.

8. We, therefore, grant liberty to the applicant(s) to take recourse to the remedy available under Article 226 of the Constitution of India and bring unauthorized constructions to the notice of the High Court.

9. Needless to state that on such petitions being filed, the High Court would decide such petitions with due urgency that the issue requires.

क्या कर्नाटक का

.....पृष्ठ 1 का शेष

ही मंत्री परिषद में तीन पद खाली चल रहे हैं। बल्कि यहां तक चर्चा है कि जिन गैर विधायकों को कैबिनेट दर्जा देकर नवाजा गया है उनको लेकर भी उच्च न्यायालय में याचिका आ सकती है। क्योंकि कैबिनेट दर्जा तो मंत्री को ही होता है और प्रदेश में यह दर्जा बारह से अधिक लोगों को शायद हो नहीं सकता है। ऐसा होने पर प्रदेश की राजनीति के सारे समीकरण बदल जायेंगे और शायद भाजपा की मंशा भी यही है। माना जा रहा है कि इन याचिकाओं के फैसले जल्द आ जायेंगे। यह फैसले आने पर स्वभाविक रूप से नये समीकरण बनेंगे। कई लोगों के स्वभिमान को ठेस पहुंचेगी। ऐसी स्थिति पर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास भाजपा करेगी।